N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0208 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/09/2024 18:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 23/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/09/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/09/2024 18:52:28 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 145 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HAJARIKHERA ,THANA PUR, DISTRICT BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Roop Singh

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 06/12/1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Birai Charanan, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, 342306, INDIA
2	स्थायी पता	Birai Charanan, BALESAR, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, 342306, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAHESH KUMAR PAREEK		पिता:GOPAL LAL PAREEK	1. FLAT NO 902,SANGANER ROAD,VINAYAK RESIDENCY,BHILWARA,RAJAS
2	HARI SINGH		पिता:CHUNNI SINGH	1. BAR,SHEKHAVAS,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
3	TEJ SINGH		पिता:AHMAD	1. SETRIYA,ब्यावर सदर,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
4	LAXMAN LAL GURJAR		पिता:SUWALAL GURJAR	1. KOT,Raypur,BHILWARA,RAJAS
5	MITHUKHAN		पिता:KISHANA KHAN	1. JHAK,ब्यावर सदर,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,43,540.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,43,540.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि दिनांक 23.07.2024 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर ने मन् पुलिस उप अधीक्षक रूप सिंह को बताया कि मुझेे एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि गांव आटुण के पास हजारी खेडा पुलिस थाना पुर जिला भीलवाडा के पास भीलवाडा चित्तोडगढ हाइवे पर परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी प्राइवेट व्यक्तियों को साथ लेकर हाइवे से गुजरने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर राशि प्राप्त कर रहे है। इस पर अग्रिम विधिवत् कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया। सूचना विश्वनीय होने से तुरन्त आकस्मिक चैकिंग कर मौके पर तलाशी कार्यवाही से परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों व उनके साथ मौजूद लोगो के पास बडी मात्रा में अवैध वूसली की राशि भारी मात्रा में मिलने की सम्भावना होने तथा विलंब होने पर वाहनो से वसूली गई अवैध राशि के खुर्द बुर्द होने की प्रबल संभावना होने एंव तलाशी वारन्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लगने एंव इसी दौरान वाहनो से वसूली जा रही अवैध राशि के खुर्द बुर्द होने की संभावना के मध्यनजर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत बिना वारन्ट तलाशी लेने का निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही/आकस्मिक चैंकिग हेतु दो गवाह अविलम्ब उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार अजमेर को जरिये मोबाईल फोन निवेदन किया गया। आकस्मिक चैकिंग हेतु मौके पर विडियोग्राफी करवाया जाना आवश्यक होने से तलविदा विडियोग्राफर श्री इन्द्र सिंह मय विडियो कैमरा के कार्यालय में उपस्थित आया जिसे तथ्यो से अवगत करवाया गया । तलविदा स्वतंत्र गवाहान. श्री विनोद रत्नु पुत्र श्री बुद्धकरण रत्नु जाति चारण उम्र 37 वर्ष निवासी 35 बलदेव नगर पुलिस थाना क्रिश्चिनगंज अजमेर हाल पटवारी चाचियावास तहसील अजमेर जिला अजमेर व श्री कृष्ण यादव पुत्र श्री होशियार सिंह जाति यादव उम्र 53 वर्ष निवासी पाथरोली तहसील बुहाना पुलिस थाना पचेरी जिला झुन्झुनु हाल पटवारी सोमलपुर तहसील अजमेर जिला अजमेर उपस्थित आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्त परिचय प्राप्त किया गया। हमराह लिए गए एसीबी स्टॉफ के सदस्यो को कार्यालय कक्ष में बुलाकर सभी का आपस मे परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के संक्षिप्त हालात से अवगत करवाया गया। समय 12-10 पीएम पर कार्यालय से प्राईवेट वाहनो से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर के मार्गदर्शन में मन् रूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान श्री दीनदयाल पुलिस निरीक्षक, श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड कानि0 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308, श्री अर्जुन टाण्डी कानि0 102, श्री प्रदीप सिंह स्टेनो, श्री किरण कुमार कनिष्ठ लिपिक, श्री मुन्नाराम हैड कानि0 चालक 37 व स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद रत्नु, श्री कृष्ण यादव एंव विडियोग्राफर श्री इन्द्र सिंह मय, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक अनुसंधान सामग्री आदि के कार्यालय से रवाना होकर भीलवाडा होते हुए नेशनल हाइवे नं0 48 सरहद हजारीखेडा पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गोपनीय रूप से रैकी कर देखा गया कि नेशनल हाईवे नम्बर 48 आटूण गांव से पहले सरहद हजारी खेडा में फुट ओवर ब्रीज के समीप सिक्स लाईन हाईवे पर अलग अलग स्थानों पर थोडी थोडी दूरी पर वर्दी धारी एक परिवहन निरीक्षक व अन्य जाप्ता वर्दी में रोड के दोनो तरफ गुजरने वाले वाहनों को रोक रोककर रूपये ले रहे है। उसके पास ही एक प्राइवेट व्यक्ति खडा बातचीत कर रहा है। हाइवे के किनारे पर ही सर्विस लेन पर एक सरकारी वाहन बत्ती लगा खडा दिखाई दिया। उक्त संदिग्धों द्वारा रूपये लेकर अपनी शर्ट, पेन्ट की जेबों में रखते दिखाई दिए, इसके बदले में वाहन चालको को कोई दस्तावेज इत्यादि लेते-देते दिखाई नहीं दिए। उपरोक्तानुसार पाए तथ्यों से मामला अवैध रूप से वसूली कर भ्रष्टाचार करने का प्रथम दृष्टया पाया जाने पर हाईवे के समीप ही गोपनीयता बरतते हुये उपस्थित हमराहीयान, स्वतंत्र गवाहान, विडियोग्राफर को आवश्यक समझाइश की गई एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से

अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर परिवहन विभाग के अधिकारी/कार्मिको के थोडी-थोडी दूरी पर खडे होने के कारण सभी को पकडकर परिवहन विभाग के वाहन नं0 आरजे 06 यूबी 8153 के पास सुरक्षित रूप से लाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात समय 05-20 पीएम पर उक्त स्थल से मन् उप अधीक्षक पुलिस रूप सिंह मय हमराह स्टाफ मय गवाहान, विडियोग्राफर के प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर अलग अलग स्थानो पर खडे परिवहन विभाग के अधिकारी/कार्मिकों व प्राइवेट व्यक्ति के पास पहूंचे तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार इन्हे दस्तायाब कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सर्विस रोड पर खडी वाहन नं0 आरजे 06 यूबी 8153 के पास लेकर आए। वहां पर श्री इन्द्र सिंह से विडियोग्राफी चालु कर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय दिया तथा आने के कारणों से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर अलग अलग जगहों से जाप्ता द्वारा पकडकर लाए गए परिवहन विभाग के बावर्दी अधिकारी/कर्मचारियों व प्राइवेट व्यक्ति का नाम पता पूछा तो 1. श्री महेश कुमार पारीक पुत्र श्री गोपाल लाल पारीक उम्र 51 वर्ष जाति बा्रहाण निवासी पुराना हाइवे चौराहा रायला पुलिस थाना रायला जिला शाहपुरा हाल निवासी फ्लेट न0 902 विनायक रेजीडेन्सी सांगानेर रोड, भीलवाडा हाल परिवहन निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा। 2. श्री हरि सिंह पुत्र श्री चुन्नी सिंह उम्र 58 साल निवासी बार तहसील शेखावास जिला ब्यावर हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन)। डेढ वर्ष से परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। 3. श्री तेज सिंह पुत्र श्री अहमद जाति काठात उम्र 63 साल निवासी सेतरिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर। हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन)। पांच वर्ष से परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। 4. श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर उम्र 45 साल निवासी कोट पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा। हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन)। दो माह से परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। 5. श्री मीठुखान पुत्र श्री किशना खान जाति काठात उम्र 47 साल निवासी झाक थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन)। ढाई वर्ष से परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत 6. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रोहिताश जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बिवासर पुलिस थाना सदर जिला झुन्झुनु प्राइवेट व्यक्ति (सादे वस्त्रों में) में होना बताया। जो श्री महेश कुमार ने बताया कि श्री रमेश कुमार का पूर्व में परिवहन विभाग में ब्यावर में संविदा पर वाहन लगा था। वह उसका चालक था इसलिए मेरा परिचित है। मेरा चालक श्री हरि सिह वाहन को भली भांति चलाना नहीं जानता है इसलिए मैने मुझे आवंटित सरकारी वाहन नं0 आरजे 06 यूबी 8153 को चलाने हेतु श्री रमेश कुमार को रखा है तथा श्री महेश कुमार ने बताया कि उक्त के अलावा हमारे साथ आज श्री नेमाराम चौधरी गार्ड था, जो आप लोगो द्वारा हमें पकडते समय देखकर भाग गया। उसका पूर्ण नाम पता मैं नहीं जानता । कार्यवाही में सहयोग हेतु पुलिस जाप्ता भिजवाने हेतु पुलिस थाना पुर को सूचित किया गया। श्री महेश कुमार ने बताया कि हम यहां पर आए दिन कार्यवाही करने के लिए आते है। पास ही स्थित कमरा श्री लक्ष्मीनारायण के कब्जे का है जो इस बाउण्डरी स्थित परिसर की रखवाली के लिए मालिक द्वारा उसे दिया हुआ है, जिसमें लक्ष्मीनारायण परिवार सहित निवास करते है। परिवहन विभाग का जाप्ता द्वारा इनसे बातचीत करने के कारण मैं इन्हे जानता हूं। परिवहन विभाग के उक्त कार्मिको को बैठाए स्थल के पास ही एक नीम के पेड के पास फेंके हुए 100-100 रूपये, 50 रूपये के नोट दिखाई दिए, जो उठाकर गिने तो कुल 250 रूपये होना पाया गया जो श्री कृष्ण यादव के पास अग्रिम कार्यवाही तक संभलाए गए। श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक के पास वाहन नं0 आरजे 06 यूबी 8153 की चाबी मिली। वाहन को खोला जाकर उक्त गवाहान व श्री महेश कुमार की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली तो चालक सीट के बांयी तरफ की सीट पर एक काले रंग का बैग रखा मिला। श्री महेश कुमार ने बताया कि इस बैग में एक लाख बीस हजार रूपये है, इस पर बैग को खोलकर तलाशी ली तो उसमें एक कागज के लिफाफे में 500-500 रूपये के तीन बण्डल मिले व बैग में एक टॉर्च, कागजात व अन्य कुछ सामग्री मिली तथा श्री महेश कुमार के हाथ मे रखी चालान मशीन व उक्त नगद राशि, सामग्री को उसी काले बैग में रखकर अग्रिम कार्यवाही तक श्री कृष्ण यादव गवाह को संभलाया गया। श्री महेश कुमार ने बताया कि इसी सीट के आगे डेसबोर्ड में कुछ रूपये व सामग्री रखी है, इस पर डेसबोर्ड को खोला तो उसमें नगद राशि, अलग अलग लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, स्टाम्प पेड, एक मोहर इत्यादि मिले। नगद राशि की गिनती की तो कुल 17510 रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात बीच की सीट की तलाशी ली तो इसमें जेब में टॉर्च, टेपरोल, घरेलू चाकू इत्यादि मिला तथा चालक सीट के नीचे परिवहन निरीक्षक की पी-केप मिली। वाहन के पीछे की दोनो सीटों के बीच पुराना ब्रीफकेस मिला जिसमे ंपरिवहन विभाग की रसीद बुक, चालान बुक व अन्य वाहनों के कागजात, भरे हुए व खाली कागज इत्यादि मिले, जो उसी ब्रीफकेस में उसी अवस्था में रखा गया। इसी स्थान पर एक पानी का आधा भरा केंपर व सीट की जेब में एक इंचीटेप व सीट के नीचे तीन नेमप्लेट मिली, जिस पर आरटीओ, आरटीओ उडनदस्ता लिखा हुआ है। एक थैली में कुछ कागजात मिले जो श्री महेश कुमार ने टैक्स रिकवरी से संबंधित होना बताया, जो उसी अवस्था में अग्रिम जांच हेतु सुरक्षित रखवाए गए। तत्पश्चात उक्त गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक की तलाशी ली तो उसके पास एक मोबाईल फोन मिला जो फ्लाइट मोड में कर सुरक्षित रखवाया गया। श्री महेश कुमार ने बताया कि मेरा मोबाईल फोन चार्ज नहीं होने से स्विच ऑफ होने वाला है। श्री महेश कुमार के पेंट की बाई जेब में एक रूमाल व 2340 रूपये नगद व स्वंय की एक नेमप्लेट मिली तथा पेंट की दाहिनी जेब में कुल 7590 रूपये नगद मिले जो गवाह श्री विनोद रत्नु से गिनवाकर श्री कृष्ण यादव को संभलाया गया। श्री

महेश कुमार की जेबों में 10, 20, 50, 100, 200, 500 रूपये के नोट मुडे हुए अवस्था में व अलग अलग मिले, जो इस राशि के इस तरह मुडे हुए व असामान्य तरीके से मिलने के बारे में पूछा तो श्री महेश कुमार ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। श्री महेश कुमार ने उनके कब्जे वाले सरकारी वाहन, स्वयं के पास मिले नगद रूपयों के बारे में पूछा तो बताया कि एक लाख बीस हजार रूपये डिवाइस लगाने के लिए है तथा अन्य रकम मेरे द्वारा चालान बनाने पर वाहन चालको से प्राप्त राशि के है। श्री महेश कुमार को आज दिनंांक को चालान से प्राप्त राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैं मशीन देखकर बता सकता हूं तथा उसने कहा कि कुछ राशि कल दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त चालान राशि के है। कल के चालान के कितने रूपये हेै, वह भी मै मशीन से बता सकता हूं। श्री महेश कुमार से राशि के बारे में उसके पास मिली चालान मशीन से जानकारी प्राप्त की जाएगी। श्री महेश कुमार ने बताया कि एक लाख रूप्ये तक की चालान राशि के रूपये मैं सात दिवस तक मैं अपने पास रख सकता हूं। एक लाख से अधिक होने पर जमा कराना पडता है। अन्य कोई विशेष जानकारी नहीं दी। तत्पश्चात उक्त गवाहान के समक्ष श्री मीठु खान की तलाशी ली तो उसके पास मिले मोबाईल को स्विच ऑफ कर गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। श्री मीठु खान की तलाशी ली तो उसके अलग अलग जेबों में कुल 1050 रूपये नगद मिले, जो गवाह श्री विनोद रत्नु से गिनवाकर श्री कृष्ण यादव को संभलाया गया। श्री मीठू खान को पूछा तो उसने बताया कि मैं आज दो बजे श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक के साथ यहां डयूटी पर आया। उसके पास मुडी अवस्था में रूपये मिलने के बारे में पूछा तो बताया कि मैने ये रूपये आज हाइवे से गुजरने वाले वाहन चालकों से लिए जिसमें से कुछ रूपये मैने रखे तथा बाकि रूपये इन्सेपक्टर साहब श्री महेश कुमार को दे दिए। उन्होने इसके बदले किसी वाहन चालक को रसीद नहीं दी। यह रूपये आज वाहन चालको से ली गई रिश्वत के है। मै कल भी इनके साथ डयूटी पर आया था। कल मैने कोई रूपये नहीं लिए। श्री तेज सिंह के पास एक मोबाईल फोन मिला जो गवाह श्री कृष्ण यादव को स्विच ऑॅफ कर संभलाया गया। उसकी तलाशी ली तो उसकी जेबों में कुल 300 रूपये, एक चाबी मिली। श्री तेज सिंह ने बताया कि मै आज श्री महेश कुमार के साथ दो बजे डयूटी पर आया था। मैं महेश कुमार से अलग स्थान पर दूर खडा था। मैने कुछ गाडियों को रूकवाया। किसी से रिश्वत राशि के रूपये नहीं लिए। यह 300 रूपये मेरे स्वयं के सब्जी खरीदने इत्यादि के है। चाबी मेरे कमरे की है। इन्सेपक्टर साहब ने वाहन चालको से रूपये लिए हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योकि मैं दूर खडा था। श्री लक्ष्मण की तलाशी ली तो लक्ष्मण के पास एक मोबाईल फोन मिला जो गवाह श्री कृष्ण यादव को स्विच ऑफ कर संभलाया गया। उसकी तलाशी में जेबों में कुल 140 रूपये मिले। श्री लक्ष्मण से पूछताछ की तो बताया कि मै दो बजे बाद श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक के साथ यहां डयूटी पर आया, मैं उनसे काफी दूरी पर रोड पर खडा था। महेश कुमार के पास मिली रकम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं उनसे काफी दूरी पर खडा था। इसलिए मैं नही बता सकता कि श्री महेश कुमार के पास मिली रकम उनके पास कहां से आई। श्री हरि सिंह की तलाशी तो उसके पास मिला मोबाईल फोन व कुल 800 रूपये उसकी जेबों में मिले। उसके बारे में श्री हरि सिंह को पूछा तो बताया कि यह रूपये आज मैने अलग अलग वाहन चालको से वाहन के ऑवरलोड होने, ऑवरहाइट के होने पर लिए है। मैने या श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक ने उन्हे कोई रसीद नहीं दी तथा चालान भी नहीं बनाया। मैंने आज चार पांच गाडियों से रूपये लेकर अधिकतर रूपये श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक को दे दिए। उन्होने उन चालको को कोई रसीद नहीं दी तथा चालान भी नहीं बनाया। मैने वाहन चालकों से प्राप्त कर आज कितने रूपये श्री महेश कुमार को दिए ये मुझे याद नहीं। अलग अलग समय पर दिए इनमेें से जो रूपये मैने रखे वे मेरे पास मिले 800 रूपये है। महेश कुमार से मेरी कोई प्रतिशत राशि नहीं है तथा मै मौका पडने पर महेश कुमार से छूपाकर भी वाहन चालको से लिए गए रूपये अपने पास रखता हूं। यहां अधिकतर चित्तोड तरफ से आने वाली गाडियां रूकती है। चित्तोड तरफ जाने वाली गाडियां कम रूकती है। मोबाईल फोन स्विच ऑफ कर व 800 रूपये गवाह श्री कृष्ण यादव को संभलाया गया। सादे वस्त्रों में मिले श्री रमेश कुमार ने बताया कि मेरा परिचित श्री लक्ष्मण गाडरी हजारीखेडा में मान फेक्ट्री में है। मै उससे मिलने तो यहां बैठ गया। श्री रमेश के पास 30रूपये मिले, जो कम राशि होने से उसके पास ही रहने दी तथा उसका मोबाईल फोन स्विच ऑफ कर आवश्यक जानकारी हेतु लेकर श्री कृष्ण यादव को संभलाया गया। श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक से पुनः पूछा तो बताया कि मैं आज दो बजे डयूटी पर उक्त गार्डो के साथ यहां आया। मेरी डयूटी 8 घण्टे रात्रि 10 बजे तक है, जो जिला फ्लाइंग नं0 भीलवाडा की नंबर 52 है। सादे वस्त्रों में मिले श्री रमेश के बारे में बताया कि यह मेरा पुराना परिचित है। तत्पश्चात काले रंग के बैग में मिले रूपयों को श्री महेश कुमार व उनके साथ मिले व्यक्तियों की मौजूदगी में गिनती की तो 500-500 रूपये के तीन बण्डलो में कुल एक लाख बीस हजार रूपये नगद होना पाया गया। जो पुनः गवाह श्री कृष्ण यादव को संभलाया गया। कार्यवाही स्थल के पास ही एक कमरा है, जिसमे एक महिला व एक लडकी बैठी है। इसके बारे में श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक ने बताया कि यह महिला व इसका परिवार इस परिसर की चौकीदारी करती है तथा परिवार सहित इसी कमरे में निवास करते है। हम यहां डयूटी पर आते है इसलिए हमारा इनसे परिचय है। कमरे में संदिग्ध राशि इत्यादि मिल सकती है। इसलिए तलाशी लेने का निर्णय कर पुर थाने की महिला कानि0 व स्वतंत्र गवाहान को साथ मे लेकर कमरे में प्रवेश हो वहां बैठी महिला व लडकी को अपना परिचय दिया व उनका परिचय पूछा तो श्रीमति नन्दू पत्नी लक्ष्मीनारायण पुरविया व लडकी ने उषा पुत्री लक्ष्मीनारायण पुरविया निवासियां कासेडी चित्तोड होना बताया तथा कमरे से लगे परिसर की निगरानी हेतु रहना बताया। श्रीमति नन्दू देवी ने स्वयं का ग्रामीण अनपढ होना बताया

। कमरे की तलाशी में कोई संदिग्ध राशि या अपराध योग्य वस्तु नहीं मिली। कमरा उसी अवस्था में श्रीमति नन्दू को सुपूर्द किया गया। श्रीमति नन्दू के कमरे में कोई संदिग्ध वस्तु, राशि, दस्तावेज नहीं मिलने से उसे इस कार्यवाही से पृथक किया गया। मौका स्थल सार्वजनिक स्थान है। यहां वाहनो का आवागमन होता रहता है, लाईट, बैठने इत्यादि की व्यवस्था नहीं है। बरसात का मौसम है। मौके पर अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना पुर में बैठकर करने का निर्णय लेकर मौके पर मिले परिवहन विभाग के उक्त कार्मिकों/व्यक्तियों, प्राइवेट व्यक्ति श्री रमेश को व उनके पास मिली नगद राशि, मोबाईल फोन, दस्तावेज व अन्य सामग्री, वाहन संख्या आरजे 06 यूबी 8153 को साथ लेकर मय जाप्ता के साथ लेकर प्राइवेट वाहनो से 06-45 पीएम पर रवाना होकर 06-50 पीएम पर पुलिस थाना पुर पहूंचे। जहां थाने में प्रवेश हुए। थाने में मिले श्री गोपाललाल सहायक उप निरीक्षक व पहरा संतरी श्री रामचन्द्र कानि0 न 1540 को अपना परिचय देकर आने के कारणों से अवगत कराया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना परिसर में सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जिस पर थानाधिकारी का कक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु मौखिक रूप से उपलब्ध कराया। श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही व जानकारी हेतु साथ रखा व परिवहन विभाग के शेष कार्मिकों व प्राइवेट व्यक्ति श्री रमेश को निगरानी में बिठाया गया। जहां अग्रिम कार्यवाही के हालात इस प्रकार है। श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक को उसके पास मिले कुल 147440 रूपये के बारे में पुनः पूछा तो बताया कि मैं डाइबिटीज का रोगी था। मैने एक पानी साफ करने का डिवाइस खरीदा, जिससे मेरी सुगर व बीपी व कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया तथा मेरा वजन भी कम हुआ। मेरा परिचित एक अग्रवाल है, जिसका नाम मुझे याद नहीं। मै उसे अग्रवाल साहब नाम से ही बुलाता हू। वह व्यक्ति भीलवाडा निवासी है तथा ए वन इन्फ्रास्ट्रक्चर नामक फर्म में काम करता है। उसने कहा बीपी, सुगर की बीमारी मेरे परिवार को है। इसलिए पानी शुद्ध करने वाला वह डिवाइस मंगाना है। वह डिवाइस मंगाने के लिए आज अग्रवाल साहब ने ड्यूटी के दौरान मुझे हजारी खेडा गांव में एक लाख बीस हजार रूपये नगद लाकर दिए थे। अग्रवाल साहब ने मुझे आज मेरे मोबाईल न0 [redacted] पर व्हाटसअप कॉल कर हजारी खेडा आए तथा एक लाख बीस हजार रूपये दिए। अग्रवाल साहब के नंबर मुझे याद नहीं है, अग्रवाल साहब कहां रहते है, मुझे पता नहीं। मेरे मोबाईल फोन मे देखकर मैं अग्रवाल साहब के नंबर बता सकता हू। इस पर श्री महेश कुमार के मोबाईल फोन को देखा तो स्विच ऑफ होना पाया गया। उसे पुनः चार्ज कर चालु करने का बहुत प्रयास किया परन्तु बावजूद प्रयास के श्री महेश कुमार का मोबाईल फोन चालु नहीं हुआ। श्री महेश कुमार द्वारा एक लाख बीस हजार रूपये की राशि किसी अग्रवाल द्वारा देने के बारे में स्पष्ट जानकारी देने हेतु उसे पूछा कि अग्रवाल का नाम, पता, मोबाईल नंबर या उसके किसी परिजन या परिचित व्यक्ति को आप जानते है, तो श्री महेश कुमार में इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया। श्री महेश कुमार को बीपी, सुगर के ठीक करने के डिवाइस को कहां से, किस कंपनी से, किस व्यक्ति से मंगाने के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। इस पर श्री महेश कुमार को अग्रवाल नामक व्यक्ति से यहां से व्यक्तिशः चलकर उससे मिलकर राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में पूछा तो श्री महेश कुमार ने रूपये देने वाले अग्रवाल का कोई ठिकाना मालूम नहीं होना बताया। श्री महेश कुमार को बीपी, सुगर इत्यादि बीमारी का विशेषज्ञ होने के बारे में पूछा तो इस बारेे में कोई विशेषज्ञता नहीं होना बताया। मौका स्थल पर रूपये देने वाले किसी अग्रवाल का नहीं बताने के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि श्री महेश कुमार के कब्जे में मिली राशि अवैध है। श्री महेश कुमार को 17510 रूपये नगद मिली राशि के बारे में पूछा तो बताया कि यह वाहन चालको से चालान की जुर्माना राशि है। इस पर महेश कुमार के कहेनुसार चालान रसीद को देखा तो दिनांक 23.07.2024 को कोई भी चालान रसीद नहीं कता की हुई है। अंतिम रसीद संख्या 4093643 दि0 22.07.2024 की कुल 13000 रूपये की कता की हुई है जो असल रसीद मौजूद है। तथा इससे पूर्व रसीद सं0 4093642 दि0 12.07.2024 को कता है। जो 8500 रूपये की है। कता सुदा रसीद बुक के अंतिम पृष्ट पर मन् उप अधीक्षक व गवाहान व श्री महेश कुमार के हस्ताक्षर कराए व जांच हेतु रसीद बुक को कब्जे ब्यूरो लिया गया। चालान मशीन जिस पर पाईन लेब्स लिखा हुआ है। श्री महेश कुमार ने बताया कि चालान मशीन से आज मैने तीन चालान आज 6000 रूपये नगद प्राप्त कर कता किए व इसमें तीन चालान ऑनलाईन कता किए जिसमें एक में ऑनलाईन रूपये जमा हुए तथा दो चालान पेण्डिग है। आवश्यकता पडने पर परिवहन विभाग के विशेषज्ञ से इस मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने व रिकार्ड का अवलोकन करने के लिए अग्रिम जांच हेतु मशीन कब्जे ब्यूरो ली गई। एक अटैची में अन्य मिले दस्तावेज पंचनामा बुक क्रम संख्या 944101 से 944150 तक है जिसमें क्रमांक 944122 दि0 10.07.2024 तक भरी हुई है शेष खाली है। क्रम संख्या 944122 पर मन् उप अधीक्षक व गवाहान व श्री महेश कुमार के हस्ताक्षर कराकर अग्रिम जांच हेतु कब्जे ब्यूरो लिए गए। अटैची में मिली एक पंचनामा बुक क्रम सं0 842051 से 842100 दि0 29.02.2024 है, जो पूरी भरी है। जिसके अंतिम पृष्ठ पर मन पुलिस अधीक्षक व गवाहान व श्री महेश कुमार के हस्ताक्षर किए गए। पंचनामा बुक जांच हेतु कब्जे ब्यूरो ली गई। रिलीज मेमेा बुक सं0 9236 की क्रम संख्या 03 से 50 तक है। जिसमें क्रम संख्या 08 तक भरी हुई है। क्रम संख्या 08 पर मन उप अधीक्षक व गवाहान व महेश कुमार ने हस्ताक्षर किए, जांच हेतु कब्जे ब्यूरो ली गई। सीजर मेमो संख्या 14982 क्रमांक 01 से 50 है, जिसमें क्रम संख्या 20 तक भरी हुई व शेष खाली है। क्रम संख्या 20 पर मन उप अधीक्षक व गवाहान व महेश कुमार ने हस्ताक्षर व कब्जे ब्यूरो ली गई। अन्य सीजर मेमो पुस्तक संख्या 13255 क्रम सं0 1 से 50 पूर्ण भरी है, जो दि0 29.02.2021 की पुरानी होने से अनावश्यक होने से श्री

महेश कुमार को पृथक से लौटाई जाएगी। वाहन संख्या आरजे 51 इए 0706 की आरसी, व इससे संबंधित पोलूशन, डाइविंग लाइसेंस के फोटोकॉपी दस्तावेज है, जो इस कार्यवाही से संबंधित नही होने से श्री महेश कुमार का लौटाया जायेगा। अन्य कागजात में वाहन संख्या आरजे 09 पीए 6380 की आरसी, इन्सोरेन्श, फार्म नं0 38, परमिट के फोटोप्रतियां व कुछ खाली कागज है, जो महेश कुमार को लौटाई जाएगी। श्री महेश कुमार के पास मिली राशि 120000 रूपये 500-500 रूपये के तीन बण्डलो में रखे हुए व महेश कुमार की जमातलाशी में मिले 2340 रूपये व 7590 रूपये डेसबोर्ड में मिले 17510 रूपये नगद राशि को कब्जे ब्यूरो ली गई तथा 250 रूपये मौके पर फेके हुए मिले जो कब्जे ब्यूरो लिए गए। बैग में वाहन संख्या आरजे 09 पीए 6356 की आरसी, इन्सोरेन्श इत्यादि के फाटोकॉपी दस्तावेज मिले जो श्री महेश कुमार को पुनः लौटाए जांएगे। श्री महेश के पास मिली टॉर्च, इन्चीटेप, चाकु, टेपरोल, मोहर व स्टाम्प जिस पर डीएफएस 52 जिला परिवहन कार्यालय भीलवाडा लिखा हुआ। पी केप, नेम पलेट व अलग अलग वाहनो के आरसी, डाइविंग लाइसेंस की कलर फोटोप्रतियां मिली जो श्री महेश कुमार को पुनः संभलाए गए। एक टेक्स रिकवरी का जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1426-1420 दि0 03.07.2024 का मिला जो जांच में सहायतार्थ कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसके अंतिम पृष्ठ पर मन उप अधीक्षक व गवाहान ने हस्ताक्षर किए। आरटीओ उडन दस्ता लिखी हुई वाहन की नेम पलेट श्री महेश कुमार को सुपूर्द की जाएगी। श्री महेश कुमार का एक मोबाईल फोन वन प्लस कंपनी का बंद अवस्था में कब्जे ब्यूरो लिया गया, जो बावजूद प्रयास के खुला नहीं। श्री महेश कुमार ने इसमें मो0न0 [redacted] की सिम लगी होना बताया तथा इसमें मो0न0 [redacted] पर व्हाटसअप चलना बताया। यह सिम अपनी पुत्र ओजस्वी के पास होना बताया। कार्यवाही के दौरान आवश्यक निर्देश देकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता जाय तैनाती रवाना हुए। श्री लक्ष्मण के पास कुल 140 रूपये मिले थे, जो कम मात्रा की राशि होने से लौटाई गई। श्री लक्ष्मण ने अपने मोबाईल फोन में [redacted] की सिम लगी होना बताया। इसके आज के व्हाटसअप चैट का अवलोकन किया तो कोई संदिग्ध व्हाटसअप चैट या कॉल नहीं होना पाया गया। इसलिए मोबाईल फोन श्री लक्ष्मण को लौटाया गया। श्री तेज सिंह के पास 300 रूपये व एक कमरे की चाबी मिली। राशि कम मात्रा में होने से मोबाईल फोन व राशि इन्हे लौटाई गई। श्री तेज सिंह के मोबाईल में [redacted] की सिम लगी होना पाया गया। श्री तेज सिंह के मोबाईल फोन में कोई संदिग्ध व्हाटसअप चैट व कॉल नहीं होना पाया गया। श्री रमेश प्राइवेट व्यक्ति ने बताया कि मैं महेश कुमार का परिचित हूं। पूर्व में एक वाहन परिवहन विभाग में संविदा पर लगा था जो श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक के पास था। मैं उसमें चालक था इसलिए मेरा महेश कुमार से पुराना परिचय है। इसलिए मै कभी कभी महेश कुमार की गाडी को चलाता हू व अधिकतर हरि सिंह चलाता है। मेरे मो0न0 [redacted] व [redacted] है। श्री रमेश कुमार को मोबाईल सुपूर्द किया गया। श्री मीठू खान के पास कुल 1050 रूपये नगद मिले, जो उन्होने वाहन चालको से अवैध रूप से रिश्वत में प्राप्त का होना स्वीकार करने के कारण उक्त राशि को कब्जे ब्यूरो लिया जाता है। मीठु खान के मो0न0 [redacted] होना बताया इसमें कोई संदिग्ध व्हाटसअप कॉल या चैट नहीं होने से मीठु खान को सुपूर्द किया। श्री हरि सिंह के पास कुल 800 रूपये मिले जो उन्होने आज वाहन चालको से अवैध वसूल कर प्राप्त करना बताया। राशि अवैध होने से कब्जे ब्यूरो ली गई। अपने मोबाईली फोन में [redacted] की सिम लगी होना बताया। मोबाईल फोन के व्हाटसअप कॉल, चैट व कॉल का अवलोकन किया तो कोई संदिग्ध कॉल चैट नहीं होने से मोबाईल फोन श्री हरि सिंह को लौटाया गया। फर्द मूर्तिब की गई। बाद कार्यवाही वाहन नं0 आरजे 06 यूबी 8153 की चाबी श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक को सुपूर्द की गई व श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक, गार्ड श्री हरि सिंह, श्री तेज सिंह, श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर, श्री मिठू खान व उनके साथ मिला प्राइवेट व्यक्ति श्री रमेश कुमार को फर्द की एक प्रति निशुल्क दी जाकर इन्हे रूख्सत किया गया। फर्द मे वर्णित कब्जे ब्यूरो ली गई नगद राशि, सामग्री व दस्तावेज के अलावा असंबंधित सामग्री श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक को सुपूर्द की गई। बाद कार्यवाही कार्यालय पहूंच जप्तशुदा नगद राशि, आर्टिकल मालखाना में जमा कराए गए तथा कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी की रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकलवाई जाकर सिलचिट किया जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा रिकार्डिंग के दो पेन ड्राइव तैयार किए। आकस्मिक चैकिंग की सूचना मय विडियोरिकार्डिंग की एक कॉपी पेन ड्राइव में नियमानुसार सक्षम न्यायालय में पेश की गई। घटनास्थल पर पहूंच घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा इसकी विडियोग्राफी कराई गई। अब तक की कार्यवाही से पाया गया है कि श्री महेश कुमार पारीक, परिवहन निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा उपलब्ध जाप्ता के साथ दिनांक 23.07.2024 को समय 02०:00 पीएम से 10०:00 पीएम तक की शिफ्ट ड्यूटी पर आए थे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सरहद हजारीखेडा, भीलवाडा पर सरकारी वाहन संख्या आरजे 06 यूबी 8153 से संविदा पर लगे हुए ड्यूटी पर मौजूद कार्मिक श्री हरि सिंह, श्री तेज सिंह, श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर, श्री मिठू खान व प्राइवेट व्यक्ति श्री रमेश कुमार के साथ मौजूद थे। इस दौरान मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनो से अवैध वसूली की सूचना के सम्बन्ध में की गई आकस्मिक चैकिंग के दौरान श्री महेश कुमार परिवहन निरीक्षक के पास से 120000 रूपये उसके कब्जे वाले सरकारी वाहन में रखे बैग से, सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से 17510 रूपये, श्री महेश कुमार की तलाशी में उसकी पहनी वर्दी की पेन्ट की बांयी जेब में 2340 रूपये एंव दाहिनी जेब में 7590 (नोट मुडी हुई अव्यवस्थित अवस्था) में प्राप्त हुये। इस प्रकार श्री महेश कुमार के चैतन्य कब्जे वाले उक्त सरकारी वाहन, सरकारी वाहन में रखे बैग में व उसके पहने वर्दी की जेबों में कुल 147440

रूपये बरामद हुए। उक्त समस्त राशि के सम्बन्ध में श्री महेश कुमार पारीक परिवहन निरीक्षक युक्तियुक्त एंव सन्तोषप्रद जवाब नही दे पाये। दिनांक 23.07.2024 को रिकार्ड अनुसार उनके द्वारा चालान किये गये वाहनो से राशि 6000 रूपये ही जुर्माना राशि के रूप में प्राप्त किया जाना पाया गया है। इस प्रकार श्री महेश कुमार पारीक परिवहन निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा के पास कुल राशि 147440 में से ड्यूटी के दौरान प्राप्त की गई सरकारी राशि 6000 को घटाने के पश्चात राशि 141440 रूपये अधिक पाए गए। जिनके संबंध मे कोई सन्तोषजनक तथ्य नही पाये गये। श्री महेश कुमार पारीक द्वारा दिनांक 23.07.2024 को अपनी राजकीय डयूटी के दौरान अवैध रूप से 141440 रूपये हाइवे से गुजरने वाले वाहनों से अवैध रूप से प्राप्त किए। उक्त के अतिरिक्त श्री नेमाराम चौधरी का भी परिवहन निरीक्षक श्री महेश कुमार के साथ मौजूद होना स्वीकारोक्त किया गया है, जो एसीबी टीम के आगमन पर वहां से भाग गया, जो संभवतयाः इस अवैध के कृत्य में संलिप्त था। जिसके पास भी अवैध वसूली की राशि होने की संभावना थी। कार्यवाही के दौरान परिवहन विभाग के उक्त कार्मिकों द्वारा मौके पर अवैध रूप से वसूल की गई राशि में से 250 रूपये फेंक दिए जो कब्जे ब्यूरो लिए गए। श्री मीठुखान के पास अवैध रूप से वसूले गए 1050 रूपये व श्री हरि सिंह के पास अवैध रूप से वसूले गए 800 रूपये कब्जे ब्यूरो लिए गए। इस तरह इस कार्यवाही में कुल 149540 रूपये (एक लाख उनपचास हजार पांच सौ चालीस रूपये) कब्जे ब्यूरो लिए गए। जिनमें से 6000 रूपये चालान राशि जो राजकीय राशि है, को घटाने पर 143540 रूपये (एक लाख तयालीस हजार पांच सौ चालीस रूपये) दिनंाक 23.07.2024 को वाहन चालकों से अवैध रूप से वसूल कर प्राप्त की गई भ्रष्टाचार की राशि है। दिनांक 23.07.2024 को श्री महेश कुमार पारीक परिवहन निरीक्षक, परिवहन कार्यालय भीलवाडा के चैतन्य कब्जे में 1,43,540 रूपये अवैध मिले, जो श्री महेश कुमार पारीक द्वारा दिनांक 23.07.2024 को डयूटी के दौरान इरादतन स्वयं को अवैध रूप से सम्पन्न करने के लिए प्राप्त करना पाया गया, जो एक दिवसीय आय के वैध स्त्रोतों से अधिक है। इस तरह श्री महेश कुमार, परिवहन निरीक्षक व परिवहन विभाग में संविदा पर कार्यरत गार्ड श्री हरि सिंह, श्री तेज सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह व श्री मीठू खान ने मिलकर हाइवे से गुजरने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर स्वयं को लाभ पहूंचाने के उद्देश्य से आपराधिक कृत्य किया, जो धारा 7, 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 61(2) का अपराध है। अतः श्री महेश कुमार, परिवहन निरीक्षक भीलवाडा व संविदा गार्ड श्री हरि सिंह, श्री तेज सिंह, श्री लक्ष्मण सिंह व श्री मीठू खान, परिवहन कार्यालय भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7, 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 61 (2) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निवेदन है। भवदीय, (रूप सिंह) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 61(2) में आरोपीगण 1.श्री महेश कुमार पारीक पुत्र श्री गोपाल लाल पारीक उम्र 51 वर्ष जाति बा्रहाण निवासी पुराना हाइवे चौराहा रायला पुलिस थाना रायला जिला शाहपुरा हाल निवासी फ्लेट न0 902 विनायक रेजीडेन्सी सांगानेर रोड, भीलवाडा हाल परिवहन निरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा 2.श्री हरि सिंह पुत्र श्री चुन्नी सिंह उम्र 58 साल निवासी बार तहसील शेखावास जिला ब्यावर हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन) परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। (संविदाकर्मी)3.श्री तेज सिंह पुत्र श्री अहमद जाति काठात उम्र 63 साल निवासी सेतरिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन) परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। (संविदाकर्मी) 4.श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर उम्र 45 साल निवासी कोट पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा। हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन) परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत (संविदाकर्मी) 5.श्री मीठुखान पुत्र श्री किशना खान जाति काठात उम्र 47 साल निवासी झाक थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर हाल रेस्को कंपनी के मार्फत परिवहन गार्ड(एक्स आर्मी मेन) परिवहन कार्यालय भीलवाडा में कार्यरत। (संविदाकर्मी) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राकेश वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.अजमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 310 पर अंकित है। (महावीर सिंह राणावत) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1122-1126 दिनांक 20-09-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाडा। 2- परिवहन आयुक्त, राजस्थान,जयपुर। 3- DIRECTOR,RAJASTHAN EX-SERVICEMEN, CORPORATION,LTD.REXCO,P-8,SECTOR-2, VIDHYADHAR NAGAR,JAIPUR-302039, 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rakesh Kumar Verma **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Singh Ranawat
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER SINGH

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				
2	Male	1966				
3	Male	1961				
4	Male	1979				
5	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)